

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

8818 - निषिद्ध वक्तों में नमाज़ पढ़ने का हुक्म

प्रश्न

मेरा एक दोस्त है जो नमाज़ की अदायगी में बहुत सूक्ष्मता से काम लेने वाला है और वह कभी कभी सूरज डूबने के दौरान नमाज़ पढ़ता है, उस का विचार यह है कि ऐसा करना हो सकता है कि मक़ूह (अनेच्छक) हो, किन्तु यह गुनाह का काम नहीं है। तो मैं ने उस से कहा कि काफ़िरो का विरोध करने के लिए सूरज डूबने के वक्त नमाज़ पढ़ना हराम है। प्रश्न यह है कि क्या सूर्यास्त या सूर्य उदय के समय नमाज़ पढ़ना मक़ूह है ? या गुनाह का काम है ? और क्यों ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

निषिद्ध वक्तों को छोड़ कर सभी वक्तों में नफ़ल नमाज़ पढ़ना मुसतहब (ऐच्छक) है, और वह निषिद्ध वक्त फ़ज्र की नमाज़ के बाद से लेकर सूरज के एक भाला की ऊँचाई के बराबर चढ़ने तक है, तथा जिस समय दूपहर खड़ी होती है यहाँ तक कि सूरज ढल जाये, और यह वक्त ठीक आधे दिन में सूरज ढलने के लगभग पाँच मिनट पहले या उस के निकट का समय है, और अस्त्र की नमाज़ के बाद से सूरज के डूबने तक का समय है। और हर मनुष्य के स्वयं अपनी नमाज़ का ऐतिबार है, चुनाँचि जब वह अस्त्र की नमाज़ पढ़ ले तो उस पर (कोई अन्य नफ़ल) नमाज़ हराम हो जाती है यहाँ तक कि सूरज डूब जाये। परन्तु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में हराम नहीं होती है। जिस के बारे में जानकारी के लिए प्रश्न संख्या (306) देखिये।

इन वक्तों में नमाज़ के निषिद्ध किये जाने की तत्त्वदर्शिता काफ़िरो की छवि अपनाने से बचाव करना है, जो कि सूर्य उगने के समय उस का स्वागत करते हुये और उस पर हर्ष और उल्लास प्रकट करते हुये उसे सज्दा करते हैं, और उस के डूबने के समय उसे बिदा करते हुये सज्दा करते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हर उस द्वार को बंद करने के बड़े ही लालायित थे जो शिर्क तक पहुँचाने वाला होता या उस में अनेकेश्वरवादियों के साथ समानता और मुशाबहत होती थी। जहाँ तक सूरज के आकाश के बीच में सीधा खड़ा होने के समय नमाज़ से रोके जाने की हिक्मत का प्रश्न है, तो यह इसलिए है कि उस समय नरक (जहन्नम) को भड़काया जाता है जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह बात प्रमाणित है। अतः इन

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

वक्तों में नमाज़ से रुके रहना उचित है।

यह शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह के फतावा 1/354 से सारांशित है।

इस्लाम प्रश्न और उत्तर